भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES

(91)

<u>न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल महोदय, ग्वालियर म0प्र0</u>

R-4410-I/12

निगरानी प्रकरण कमांक : ..../12

1– काजी शकीलउद्दीन आ0गुलाम मोहीनउद्दीन, वयस्क
निवासी आगर, हाल मुकाम मोहल्ला अलीपुर,
आष्टा, जिला सीहोर,म0प्र0

2– श्रीमती रफीका बी पुत्री काजी मसीउद्दीन विद्यवा सलीम खां, वयस्क
निवासी आगर, तहसील आगर, जिला शाजापुर, म0प्र0 ...... निगरानीकर्तागण

विरेन्द्र तिवारी 22-10-2012

//विरूद्ध//

श्रीमती सुगन बाई पत्नी बद्रीलाल, जाति अहीर, वयस्क
निवासी ग्राम परसूखेड़ी, तहसील आगर, जिला शाजापुर,
म0प्र0 ...... अनावेदिका

228
22/10/2012

<u>निगरानी अन्तर्गत धारा 50 (1) मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता, 1959.</u>

श्रीमानजी,

निगरानीकर्तागण श्रीमान तहसीलदार महोदय तहसील आगर द्वारा प्रकरण कमांक 13/अ–6/2011–2012 श्रीमती सुगन बाई विरूद्ध मध्यप्रदेश शासन में दिनांक 31.07.2012 को पारित आदेश से असंतुष्ट होकर निम्न तथ्यों एवं विधि आधारों पर यह निगरानी प्रस्तुत करते हैं :–

11/12/12

<u>//निगरानी के तथ्य//</u>

1– यह कि, अनावेदिका ने खसरा नंबर 111 में से रकबा 0.40 आरे स्थित ग्राम बांसखेड़ी, तहसील आगर जिला शाजापुर म0प्र0 के संबंध में विकय पत्र के आधार पर नामान्तरण का आवेदन पत्र तहसीलदार महोदय आगर के न्यायालय में प्रस्तुत किया था, जिस पर निगरानीकर्तागण ने आपत्ति प्रस्तुत की थी । उभयपक्षों को सुनने के पश्चात तहसीलदार महोदय ने दिनांक 31.07.2012 को आदेश पारित किया है, जिसके विरूद्ध यह निगरानी माननीय न्यायालय में समयावधि में प्रस्तुत है एवं आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि संलग्न है ।

18-12-12

<u>// विधि–आधार //</u>

1– यह कि, माननीय अधीनस्थ न्यायालय ने जो आदेश पारित किया है, वह विधि एवं प्रकिया के विपरीत होकर निरस्त होने योग्य है ।

2– यह कि, माननीय अधीनस्थ न्यायालय ने अनावेदिका द्वारा प्रस्तुत किये गये विकय पत्र एवं राजस्व अभिलेखों का सही मूल्यांकन नहीं किया है । अनावेदिका [illegible]
जिस खसरा नंबर के संबंध में नामान्तरण का आवेदन पत्र [illegible]

XXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - निगरानी-4410-एक/12 **जिला** - शाजापुर

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
10/1/19	आवेदक की ओर से यह निगरानी तहसीलदार के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत तहसीलदार द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 24-5-19 को कलेक्टर, जिला शाजापुर के समक्ष उपस्थित हों। **प्रशासकीय सदस्य**	